

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 2025 (श्रावण 13, 1947)

मध्यप्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों का गठन वर्ष 2025-26.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क तथा 234-द के अधीन माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों हेतु वर्ष 2025-2026 की अवधि में सेवा करने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है:

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति	
1.	श्री बिसाहूलाल सिंह (मान. सभापति)
2.	श्री जयसिंह मरावी
3.	डॉ. प्रभुराम चौधरी
4.	श्री प्रदीप लारिया
5.	श्रीमती उमादेवी खटीक
6.	श्री पन्नालाल शाक्य
7.	श्री राजेन्द्र मेश्राम
8.	श्री कालूसिंह ठाकुर
9.	श्री सुरेश राजे
10.	श्री राजन मण्डलोई
11.	श्री चैनसिंह बरकडे

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	
1.	श्री महेन्द्र हार्डिया (मान.सभापति)
2.	श्री दिनेश राय मुनमुन
3.	श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
4.	श्री हजारीलाल दांगी
5.	श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
6.	श्री अरुण भीमावद
7.	श्री अमर सिंह यादव
8.	श्री चन्दर सिंह सिसौदिया
9.	डॉ. रामकिशोर दोगने
10.	श्री सिद्धार्थ कुशवाहा
11.	श्री दिनेश गुर्जर

ए.पी.सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन 30, 1946)

मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम- 221 (3), 223(1), 223-क(1) तथा 234-ढ के अधीन माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि में सेवा करने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है:

	लोक लेखा समिति
1.	श्री भंवर सिंह शेखावत (सभापति)
2.	श्री जयंत मलैया
3.	सुश्री मीना सिंह मांडवे
4.	श्री संजय सत्येन्द्र पाठक
5.	श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
6.	श्री हरिशंकर खटीक
7.	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
8.	श्री चन्द्रशेखर देखमुख
9.	श्रीमती रीति पाठक
10.	श्री अभय मिश्रा
11.	श्री संजय उइके
	प्राक्कलन समिति
1.	श्री अजय विश्नोई (सभापति)
2.	श्री ओमप्रकाश धुर्वे
3.	श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
4.	श्री रामेश्वर शर्मा
5.	श्री आशीष गोविन्द शर्मा
6.	श्री राजेश कुमार वर्मा
7.	श्री भगवानदास सबनानी
8.	डॉ. चिंतामणि मालवीय
9.	श्री सोहनलाल वाल्मीक
10.	श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
11.	श्री दिनेश जैन (बोस)

	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
1.	श्री सुरेन्द्र पटवा (सभापति)
2.	सुश्री उषा ठाकुर
3.	श्री हरीसिंह रघुवंशी
4.	श्री सूर्यप्रकाश मीणा
5.	श्री प्रहलाद लोधी
6.	डॉ. योगेश पण्डाग्रे
7.	श्री राकेश शर्मा (गोलू)
8.	श्री सतीश मालवीय
9.	श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
10.	श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
11.	श्री फूलसिंह बरैया
	स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति
1.	श्री रमेश मैदोला (सभापति)
2.	श्री शैलेन्द्र जैन
3.	श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
4.	श्री दिव्यराज सिंह
5.	श्री विश्वामित्र पाठक
6.	श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
7.	श्री राजेश सोनकर
8.	श्री घनश्याम चन्द्रवंशी
9.	श्री जयवर्द्धन सिंह
10.	डॉ. सतीश सिकरवार
11.	श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव

ए.पी.सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 2024 (श्रावण 15, 1946)

मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों का गठन वर्ष 2024-25.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम- 221 (3), 223(1), 223-क(1), 234-ढ, 234-क तथा 234-द के अधीन माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों हेतु वर्ष 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है:

(1) लोक लेखा समिति

1. श्री भंवर सिंह शेखावत(सभापति)
2. श्री जयंत मलैया
3. श्री भूपेन्द्र सिंह
4. सुश्री मीना सिंह माण्डवे
5. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक
6. श्री हरिशंकर खटीक
7. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्रीमती रीति पाठक
10. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
11. श्री रजनीश हरवंश सिंह

(2) प्राक्कलन समिति

1. श्री अजय विश्नोई (सभापति)
2. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
3. श्रीमती मालिनी गौड़
4. श्री रामेश्वर शर्मा
5. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
6. श्री राजेश कुमार वर्मा
7. श्री भगवानदास सबनानी
8. डॉ. चिंतामणि मालवीय
9. श्री अभय मिश्रा
10. श्री दिनेश जैन बोस
11. श्री संजय उइके

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. सुश्री उषा ठाकुर (सभापति)
2. श्री सुरेन्द्र पटवा
3. श्री हरिसिंह रघुवंशी
4. श्री सूर्य प्रकाश मीणा
5. श्री प्रह्लाद लोधी
6. डॉ. योगेश पण्डाग्रे
7. श्री राकेश शुक्ला (गोलू)
8. श्री फूलसिंह बरैया
9. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
10. श्री विपीन जैन
11. रिक्त

(4) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति

1. श्री रमेश मेंदोला (सभापति)
2. श्री शैलेन्द्र जैन
3. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
4. श्री विश्वामित्र पाठक
5. श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
6. श्री राजेश सोनकर
7. श्री घनश्याम चन्द्रवंशी
8. श्री दिव्यराज सिंह
9. डॉ. सतीश सिकरवार
10. श्री जयवर्द्धन सिंह
11. श्री सचिन यादव

(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री बिसाहूलाल सिंह (सभापति)
2. श्री जयसिंह मरावी
3. डॉ. प्रभुराम चौधरी
4. श्रीमती उमादेवी खटीक
5. श्री पन्नालाल शाक्य
6. श्री राजेन्द्र मेश्राम
7. श्री कालूसिंह ठाकुर
8. श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया
9. श्री सुरेश राजे
10. श्री राजन मण्डलोई
11. डॉ. हिरालाल अलावा

(6) पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री महेन्द्र हार्डिया (सभापति)
2. श्री दिनेश राय मुनमुन
3. श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
4. श्री हजारीलाल दांगी
5. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
6. श्री अरुण भीमावद
7. श्री अमर सिंह यादव
8. श्री मोहन सिंह राठौर
9. श्री दिनेश गुर्जर
10. श्री राजेन्द्र भारती
11. श्री सिद्धार्थ कुशवाहा

ए.पी.सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.